उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामले

1288. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्चतम न्यायालय में कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(ख) गत पांच वर्ष अथवा इससे अधिक समय से कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) . 1 जुलाई , 1973 को उच्चत्तम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या 12,060 और पांच वर्ष से अधिक से लम्बित मामलों की संख्या 380 थी ।

उच्च न्यायालयों म विचाराधीन मामले

1289. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री सोमनाथ चटर्जी

क्या **विधि , न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन अथवा अधिक वर्षों से विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त मामलों को शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच0 आर० गोखले) (क) और (ख). अद्यतन जानकारी तुरत उपलब्ध नहीं है । 1972 के अन्त तक के आंकड़े सभा पटल पर रखे विवरण में दिए गए हैं

(ग) विवरण सभा पटल पर रखा है । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या LT-525/73]

Report of Experts Committee on rising costs of Irrigation Projects

1290. SHRI P. A. SAMINATHAN:
SHRI R. V. SWAMINATHAN:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Experts Committee appointed to go into the reasons for the rising costs of irrigation projects has submitted its report; and

(b) if so, the main points made by the Experts Committee in its report and Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) The Expert Committee have indicated that the important reasons of increase in costs are:—

(i) Increase in the period of construction due to paucity of funds and consequent long gestation period during which prices rise.

(ii) Continuous rise in cost of construction material and labour.

(iii) Inadequate investigations in a several cases.

(iv) Inadequate provision in the original estimates.

(v) Change in the scope of projects to increase the benefits, after the estimates have been sanctioned.

(vi) Change in design, and additional requirements during construction.

(vii) Increase in land acquisition costs.

(viii) Increase in cost of rehabilitation measures and increase in scales of such measures.

(ix) Poor performance of indigenous equipment.